



अभिरूचि की अभिव्यक्ति

सॉटी दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल शहर के दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग क्र.10 में दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.10.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से निरंतर
2.	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.10.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 30.10.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु. 100000/- (राशि रु. एक लाख मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवेदन पत्र में वितरक सह-परिवहनकर्ता के कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रु.1000/- की राशि का डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में यथा वर्णित ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक मार्ग के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में (अंक तालिका पद्धति) Grading System अनुसार चयन किया जाएगा। एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता की अंक तालिका समान होने पर चयन लॉटरी (Computer Randomisation) पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में मूल अनुबंध को अवधि को एक-एक वर्ष की अवधि हेतु निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल शहर में साँची उत्पाद

वितरक सह-परिवहनकर्ता

कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष 2023-26



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755-2457017
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु नवीन आवेदन प्रपत्र

- | | |
|---|--|
| 1 आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान | 30.10.2024 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल |
| 2 आवेदन खोलने की तिथि एवं समय | 30.10.2024 अपरान्ह 3:00 बजे |
| 3 आवेदन प्रपत्र का मूल्य | रु.1000/- (एक हजार रुपये मात्र) |
| 4 आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि | प्रत्येक आवेदन के साथ रु. 100,000/- (एक लाख मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो |
| 5 आवेदन खोलने का स्थान | मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल |

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में भोपाल शहर के दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग क्र..... में साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		आवेदनकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करें।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी की ओर से आवेदन भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/ कंपनी की ओर से आवेदन में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं आवेदन भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) का जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।		तदाशय के जी.एस.टी नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
1.4	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का टर्न ओवर संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय के विगत पांच वित्तीय वर्षों में संयुक्त रूप राशि रु.50000000/- (पांच करोड़) या अधिक के टर्न ओवर की अंकेक्षित बैलेंस शीट की सी.ए से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
1.5	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।
1.6	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।		तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप अवलोकन हेतु संलग्न है।
1.7	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को 05 वर्ष का पैकड दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय का संस्था/कम्पनी द्वारा जारी दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य के आदेश की प्रति संलग्न करें एवं पांच वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉप पर शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है।

1.8	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र.07 के तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2018 के हो अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन लगाए जाने की दशा में रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। <u>शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन प्रपत्र क्र.06 में अवलोकन हेतु संलग्न है।</u>
1.9	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) पैक्ड दूध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य का वैध एफ.एस.एस.ए. आई. लायसेंस की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
1.10	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि की डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है।		ई.एम.डी राशि रु.100000/- (एक लाख रुपये) की डी.डी. जो कि पेयबल एट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय होगी संलग्न करें।
1.11	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
1.12	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के क्रय मूल्य की राशि की डी.डी. के माध्यम से संलग्न करें।		तदाशय की रु.1000/- डी.डी. जो कि पेयबल एट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय होगी संलग्न करें।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

मोबाईल नं. _____

आवेदन की नियम व शर्त :-

1. चयन प्रक्रिया – दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य के चयन हेतु निम्नानुसार Grading System (अंक तालिका) निर्धारित की गई है :-
 - 1.1 दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य के अनुभव के लिए 05 वर्ष निर्धारित हैं। पांच वर्ष के अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 02 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे।
 - 1.2 वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 में 05 वर्षों के संयुक्त रूप से कुल न्यूनतम टर्न ओवर रुपये 5 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ के टर्न ओवर होने पर 04 अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार कुल 05 वर्ष में अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी आवेदनकर्ता का 05 वर्षों में संयुक्त रूप से टर्न ओवर रुपये 5 करोड़ से अधिक है तो प्रत्येक 1 करोड़ रुपये हेतु 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक और दिए जाएंगे।
 - 1.3 इस प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम में कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। उक्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में विगत तीन वित्तीय वर्षों में आवेदक का संयुक्त रूप से टर्न ओवर न्यूनतम 02 करोड़ का होना अनिवार्य है।
 - 1.4 चयन के दौरान एक मार्ग पर एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता के अंक समान होने पर लॉटरी Computer Randomisation तकनीक से की जाएगी।
2. प्रतिभागी आवेदनकर्ता के पास प्रपत्र क्र.09 में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता एवं वाहन मॉडल का निर्माण एवं पंजीयन वर्ष 2018 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्षों के हो उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच हैवी डेन्सिटी के थर्मोकोल या पफ इंसुलेशन 04 इंच हो, इंसुलेटेड वाहन का होना अनिवार्य है। नए वाहन लगाए जाने की दशा में औपचारिकता पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में उक्त नवीन वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, चालान अनुज्ञा पत्र व अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. समय-समय पर पफ इंसुलेशन की शीतलन क्षमता की स्थिति जानने हेतु संघ स्तर पर अधिकारियों की एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दुग्ध पदार्थों का नियमानुसार तापमान पर दुग्ध उत्पाद परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापन करेगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन नहीं पाये जाने पर सफल आवेदक को 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इस अवधि के पश्चात् भी इंसुलेशन निर्धारित मापदंडों पर नहीं पाए जाने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
4. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर जमा ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा एवं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होने वाले समस्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति दोषी प्रतिभागी/आवेदनकर्ता से वसूली योग्य होगा।
5. सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जाएगा। इस पत्र के जारी होने के दिनांक से नए इंसुलेटेड वाहन लगाए जाने सहित, एक माह में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
6. सफल आवेदनकर्ता को रु.1000/- के नोटराईज्ड स्टाम्प पर अनुबंध एक माह में प्रस्तुत करना होगा।
7. सफल आवेदनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की ओर से निवेदन एवं सहमति प्राप्त होने एवं उसका कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में एक-एक वर्ष कर अधिकतम कुल 02 वर्ष हेतु अनुबंध अवधि में वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, दुग्ध संघ के हितों में संवर्धन हेतु आवेदनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता की सहमति से मूल अनुबंध में नवीन शर्तों का भी समावेश कर सकते हैं।

8. सफल आवेदनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को बतौर प्रतिभूति राशि रु.500000/- (रुपये पांच लाख) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय होगा। एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि का अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस (ई-पेमेंट) के माध्यम से दुग्ध संघ को करना होगा। ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व वितरक को संघ के कार्यालय में स्वयं के प्रचलित बैंक खाते की स्वहस्ताक्षरित धनादेश पुस्तिका, जिसके धनादेश पत्रकों में तिथि व धनराशि के स्थान को रिक्त छोड़कर इस उद्देश्य हेतु जमा करनी होगी की शासकीय अवकाश अथवा स्वयं वितरक की भोपाल में अनुपस्थिति आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में संघ द्वारा प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पाद की मूल्य राशियों को व दुग्ध उत्पाद प्रदाय की सुसंगत तिथियों को उक्त धनादेश में भरकर, बैंक में प्रस्तुत कर प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सके व दुग्ध उत्पादों की वितरण निरंतरता निर्बाध बनी रहे। आवेदनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता एवं उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि को प्रत्येक बार दुग्ध उत्पादों के संदाय को प्राप्त करने के पूर्व ही, उसके जमा की गई धनादेश पुस्तिका को जारी करने वाले बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ताकि प्राप्त किए गए दुग्ध उत्पादों के मूल्य की राशि समय पर दुग्ध संघ को प्राप्त हो जाए।
10. दुग्ध पदार्थ की दर निर्धारित करने में दुग्ध संघ का पूर्णतः विशेषाधिकार रहेगा। कार्य आवंटित होने के उपरान्त आवेदक को साँची दुग्ध पदार्थ/उत्पाद संघ के डेयरी संयंत्र भोपाल से स्वयं के व्यय पर एवं तापरोधी वाहन से उठाने होंगे एवं संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर अपने क्षेत्र के फूटकर विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार निर्धारित समयावधि एवं तापमान पर विक्रेताओं तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ यदि भविष्य में, वर्तमान वितरक मार्जिन में कोई परिवर्तन करता है तो वह परिवर्तन वितरक को मान्य करना होगा, अपितु वितरक पर बंधनकारी भी होगा।
11. दुग्ध उत्पाद वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :-
 - a- रु 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु.1000/- के मान से होगी। रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रु.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
 - b- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 - c- यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 - d- वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
 - e- एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।
 - f- इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा तथा वसूली हेतु आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।
12. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/संघ विरोधी गतिविधियों/संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा वितरकशिप निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. संघ द्वारा जो दुग्ध पदार्थ प्लास्टिक क्रेट में प्रदाय किये जाते हैं, उनके लिये पार्टी को न्यूनतम 250 क्रेट्स/या जितने आवश्यक हो हेतु दुग्ध संघ से क्रय करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन जितनी संख्या में

क्रेट में दुग्ध पदार्थ लेकर जाते हैं उसी संख्या में क्रेट प्रतिदिन वापस करना बंधनकारी होगा अन्यथा बकाया क्रेट की राशि अमानत राशि से काट ली जायेगी।

14. फुटकर विक्रेताओं से दुग्ध पदार्थों की राशि वसूली करना वितरक का कार्य होगा। वितरक एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार की वचनबद्धता एवं विवाद के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।
15. संघ द्वारा वितरक को उसकी अग्रिम मांग अनुसार अग्रिम भुगतान करने पर ही दुग्ध पदार्थ दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे, एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय होने पर संघ द्वारा वापस नहीं लिये जाएंगे।
16. संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए देवें एवं दुग्ध संयंत्र से प्राप्त करे। ताकि निर्धारित समयावधि में अर्थात् दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता को विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित होने के पूर्व ही फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए। फुटकर विक्रेताओं को शेल्फ-लाइफ की जानकारी देकर नियमानुसार कार्य करने हेतु जागरूक करने की जवाबदारी वितरक की होगी।
17. वितरक के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है, समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी वितरक की होगी। साथ ही वितरक को म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।
18. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
19. सफल आवेदनकर्ता को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी आशानुरूप नहीं होने पर दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य निरंतर जारी करने/समाप्त करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरुद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छः माह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
20. वितरक दुग्ध संघ द्वारा चाही गई जानकारीयां निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में समय-समय पर प्रस्तुत करेंगे।
21. संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाएंगे उनका पालन करना वितरक को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
22. एक अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
23. वाहन में जीपीएस सिस्टम संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय वितरक को तत्काल दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
24. कार्य आदेश जारी करने के पूर्व वाहन पर विनाइल फ्लेक्स साँची विज्ञापन वितरक को स्वयं के खर्च पर लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी वितरक की होगी अन्यथा वितरकशिप बंद कर दी जायेगी।
25. वाहन के चालक एवं हेल्पर को संघ द्वारा निर्धारित यूनीफार्म पहनने तथा पहचान पत्र होने पर ही संयंत्र परिसर में जाने की अनुमति दी जाएगी।
26. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार-बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
27. संयंत्र से सामग्री लेने के बाद सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सामग्रियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ जांच कर लेंगे। रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
28. वितरक आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
29. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर व आव्हान करने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टॉक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओं की जाँच कराएगा।
30. जरूरत पड़ने पर दुग्ध उत्पाद मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
31. साँची के उत्पादों की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर उत्पादों की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो साँची (भोपाल सह-दुग्ध संघ) की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

32. यदि आवेदक दुग्ध संघ में दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में वर्तमान में कार्यरत है या कार्यरत रहे हैं तथा जिनका वर्ष 2016-17 में सम्पन्न दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य की निविदा/ई.ओ.आई की शर्तों के अनुसार लक्ष्य पूर्ति नहीं करने के कारण पेनल्टी की राशि वसूली योग्य है तथा पेनल्टी वसूली के विरुद्ध प्रकरण WP/5467/2021 मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित है तो पेनल्टी की वसूली WP/5467/2021 में मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी। अतः पूर्व से कार्यरत आवेदनकर्ताओं द्वारा मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान निविदा/ई.ओ.आई में भाग लेने हेतु उक्त पेनल्टी की राशि को छोड़कर यदि दुग्ध संघ की कोई अन्य देनदारी है तो उस राशि को दुग्ध संघ में जमा कर, वर्तमान ई.ओ.आई/निविदा में भाग लेने की अनुमति दुग्ध संघ से प्राप्त करनी होगी।
33. नवीन ई.ओ.आई/निविदा में उपरोक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य आवेदनकर्ता ई.ओ.आई में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ की देनदारी दुग्ध संघ में जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
34. ऐसे आवेदनकर्ता जो कि वर्तमान में दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं अथवा रहे हैं, जिनके द्वारा पूर्व निविदा/ई.ओ.आई में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर पेनल्टी की राशि वसूली योग्य है एवं पेनल्टी की वसूली संबंधी प्रकरण मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित है। यदि उक्त आवेदनकर्ता का नवीन ई.ओ.आई/निविदा में नियमानुसार चयन होता है तो उनकी वर्ष 2016-17 में जमा दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि वापसी हेतु निर्णय मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP/5467/2021 में पेनल्टी की वसूली के संबंध में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन होगी एवं नवीन ई.ओ.आई/निविदा में नियमानुसार नवीन प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
35. सफल आवेदनकर्ता को आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट कार्य आवंटन होने के पश्चात् तीन माह की समयावधि में खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
36. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
37. संघ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना की जाने पर वितरक सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा
38. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की सामान्य शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है भविष्य में यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो संघ द्वारा मेरा/हमारा आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें मान्य होगी। मुझे/हमें उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मेरे/हमारे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु नवीन आवेदन

पत्र

आवेदनकर्ता
स्वयं का
रंगीन फोटो
चस्पा करें।

1. आवेदक/फर्म/पार्टनरशिप/कम्पनी का नाम
2. प्रोप्राइटर का नाम
3. पिता का नाम
4. स्थाई/वर्तमान पता
5. प्रस्तावित दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग क्र. :-
(आवेदक जिस मार्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस मार्ग का नंबर ऊपर लिखें)
5. दूरभाष/मोबाईल नं.
6. FSSAI लाइसेंस नं.
7. जी.एस.टी नम्बर
8. पेन कार्ड नम्बर

मेरे/हमारे द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। इस हेतु मेरे/हमारे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी ..
.....यह कि मेरे/हमारे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के भोपाल शहर के दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग क्र..... में दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

1. गवाह

नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज..... आयु..... निवासी.....

.. यह स्वप्रमाणित करते हैं कि मुझे/हमें दूध दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता/वितरक कार्य का कुल 05 वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हावाश एवं इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रामाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी स्वयं की होगी

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु .
..... निवासी यह कि मेरे/हमारे
द्वारा भोपाल शहर के दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग क्र..... में दुग्ध उत्पाद वितरक
सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह कि यदि मेरा/हमारा
आवेदन नियमानुसार स्वीकृत होता है तो मैं/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल
एवं पंजीयन तथा तापमान का नया इंसूलेटेड वाहन एक माह के अंदर संलग्न करूंगा।
इस हेतु मैं/हम अपना शपथ पत्र आवेदन की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा
हूँ।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण
कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य अनुबंध (भोपाल शहर विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा। (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स से बतौर साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए दिनांक से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में भी संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के दोनों ही पक्ष परस्पर सहमत हों, स्वीकार करते हैं कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति तथा पक्ष क्र.02 द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षरित कर आवेदन प्रपत्र क्र.01 एवं प्रपत्र क्र.02 में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं शर्त आदि इस लिखित अनुबंध की अंतरवस्तु के अटूट भाग होकर दोनों ही पक्षों पर समान रूप से बंधनकारी होंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को दुग्ध संघ के पास अमानत राशि रु.500000/- शब्दों में (पांच लाख रुपये मात्र) डी.डी. के माध्यम से जमा करावेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक, दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक पर स्थित दुग्ध पदार्थ निर्धारित विक्रय केन्द्रों, (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर साँची दुग्ध पदार्थ संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
5. वितरक साँची दुग्ध पदार्थ डेयरी डाक भोपाल मांग अनुसार प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाय में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध पदार्थ व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
6. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को डेयरी डाक भोपाल से प्राप्त किये गये साँची दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन आवेदन प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
7. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक, दुग्ध विक्रय एजेंटों को दुग्ध पदार्थों की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा।
8. वितरक निर्धारित दर पर ही दुग्ध पदार्थ विक्रय एजेंट को प्रदाय करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय एजेंटों से वसूली कर रहा है, तो संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार-बार पुनरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त की जाएगी।
9. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वितरण वाहनों की साफ-सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रु.1000/- का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
10. वितरक के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।
11. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है, इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती है। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जाए। धुम्रपान एवं गुटका खाकर या रख कर नहीं आयेगा, ऐसा करते पाये जाने पर रु.1000/- का जुर्माना लगाया जावेगा।
12. वितरक को प्रतिदिन दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस (ई-पेमेंट) के माध्यम से अग्रिम करना होगा। ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने

के पूर्व वितरक को संघ में प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित धनादेश पुस्तिका जिसके धनादेश पत्रकों में तिथि व धनराशि के स्थान को रिक्त छोड़कर इस उद्देश्य हेतु जमा करना होगी की शासकीय अवकाश अथवा स्वयं वितरक की भोपाल में अनुपस्थिति आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की मूल्य राशियों को व दुग्ध उत्पाद प्रदाय की सुसंगत तिथियों को उक्त धनादेश में भरकर बैंक में प्रस्तुत कर प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सके व दुग्ध उत्पादों के वितरण निरंतरता निर्बाध बनी रहे। आवेदनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता एवं उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि को प्रत्येक बार दुग्ध उत्पादों के संदाय को प्राप्त करने के पूर्व ही, उसके जमा की गई धनादेश पुस्तिका को जारी करने वाले बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि प्राप्त किए गए दुग्ध उत्पादों के मूल्य की राशि समय पर संघ को प्राप्त हो जाएगी।

13. दुग्ध उत्पाद वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :-
 (क) रु.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु.1000/- के मान से होगी। रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रु.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
 (ख) यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 (ग) यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
 (घ) वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
 (च) एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।
 (छ) इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
14. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। कार्य Compensation Act. अनुसार सभी कर्मचारियों का बीमा होना आवश्यक है, जिसकी छायाप्रति कार्य आवंटन उपरांत दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
15. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
16. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध पदार्थ वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स का वितरक अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स की वितरकशिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा।
17. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
18. दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दुग्ध पदार्थ वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें।

19. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म बनवाना आवश्यक होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को पहनना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का व्यय वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
20. संयंत्र से सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सम्पूर्ण सामग्री जांच कर प्राप्त करेंगे तथा रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
21. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टॉक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओं की जाँच कराएगा।
22. भोपाल दुग्ध संघ किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तों को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषाधिकार रखेगा जो कि वितरक पर बाध्यकारी रहेगा।
23. जरूरत पड़ने पर दुग्ध उत्पाद मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
24. साँची के उत्पादों की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर उत्पादों की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो साँची (भोपाल सह.दुग्ध संघ) की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
25. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक दुग्ध पदार्थ संघ से उतने ही क्रेडिट्स प्राप्त कर सकेगा जितने वह लेकर आयेगा। इस हेतु उसे आवश्यकतानुसार न्यूनतम 250 क्रेडिट्स संघ से क्रय करनी होंगी।
26. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक शासन के समस्त निर्धारित करें आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
27. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक दुग्ध पदार्थ संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराएगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी।
28. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा एवं न ही उपठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
29. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
30. यह अनुबंध तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद वितरक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद होने पर अनुबंध की समान शर्तों के अंतर्गत कार्य अवधि अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
31. दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता को दुग्ध उत्पादों के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी आशानुरूप नहीं होने पर दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य निरंतर रखने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरुद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छः माह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
32. समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को दुग्ध पदार्थ विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये वितरक को पृथक करने हेतु स्वतंत्र होगा।
33. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक कार्य हेतु साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक का इन्सुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

34. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के संबंधित सहायक महाप्रबंधक विपणन को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक महाप्रबंधक विपणन से कराना होगा।
35. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक का संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक का दायित्व होगा।
36. संघ द्वारा साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध पदार्थ विक्रय केन्द्रों पर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा नियमित रूप से दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध पदार्थ प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हुई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।
37. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार-बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
38. डेयरी परिसर के अंदर साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन करने पर प्रथमतः अर्थदण्ड राशि रु.1000/- वितरक से वसूला जावेगा। पुनः वाहन चालक द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने पर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी परिसर में वाहन चालक का प्रवेश निषेध कर दिया जावेगा।
39. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध पदार्थ वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स के वितरक से किया जावेगा।
40. यदि आवेदक दुग्ध संघ में दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में वर्तमान में कार्यरत है या कार्यरत रहे हैं तथा जिनका वर्ष 2016-17 में सम्पन्न दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य की निविदा/ई.ओ.आई की शर्तों के अनुसार लक्ष्य पूर्ति नहीं करने के कारण पेनल्टी की राशि वसूली योग्य है तथा पेनल्टी वसूली के विरुद्ध प्रकरण WP/5467/2021 मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित है तो पेनल्टी की वसूली WP/5467/2021 में मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी। अतः पूर्व से कार्यरत आवेदनकर्ताओं द्वारा मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान निविदा/ई.ओ.आई में भाग लेने हेतु उक्त पेनल्टी की राशि को छोड़कर यदि दुग्ध संघ की कोई अन्य देनदारी है तो उस राशि को दुग्ध संघ में जमा कर, वर्तमान ई.ओ.आई./निविदा में भाग लेने की अनुमति दुग्ध संघ से प्राप्त करनी होगी।
41. नवीन ई.ओ.आई./निविदा में उपरोक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य आवेदनकर्ता ई.ओ.आई में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ की देनदारी दुग्ध संघ में जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
42. ऐसे आवेदनकर्ता जो कि वर्तमान में दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं अथवा रहे हैं, जिनके द्वारा पूर्व निविदा/ई.ओ.आई में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर पेनल्टी की राशि वसूली योग्य है एवं पेनल्टी की वसूली संबंधी प्रकरण मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित है। यदि उक्त आवेदनकर्ता का नवीन ई.ओ.आई./निविदा में नियमानुसार चयन होता है तो उनकी दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि वापसी हेतु निर्णय मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP/5467/2021 में पारित निर्णय के अध्याधीन होगी।
43. सफल आवेदनकर्ता को आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूजिव आउटलेट कार्य आवंटन होने के पश्चात् तीन माह की समयावधि में खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

44. साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
45. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
46. द्वितीय पक्ष का वाहन कतिपय कारणों से खराब हो जाने की स्थिति में उसे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अधिकतम 10 दिवस हेतु अन्य इंसुलेटेड वाहन से कार्य करने की अनुमति सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरांत दी जाएगी। अनुबंध अवधि में अनुबंधित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने (Totally Loss) अथवा अन्य कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अनुबंधित वाहन के स्थान पर दूसरा स्वयं के नाम से इंसुलेटेड वाहन कार्य पर लगाना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
47. वितरक भोपाल दुग्ध संघ के अतिरिक्त किसी भी अन्य उत्पादक का दुग्ध या दुग्ध पदार्थ क वितरण/विक्रय करने से पूर्णतः निषेधित रहेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसे तत्काल बिना नोटिस दिए वितरकशिप से पृथक कर दिया जावेगा।
48. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी मार्ग अथवा क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्था, प्राइवेट संस्था, माडर्न ट्रेड के व्यवसाय जैसे वॉलमार्ट, कैटरर, मेस संचालनकर्ता, कैंटीन आदि को सीधे दुग्ध पदार्थ प्रदाय करने का अधिकार होगा। इस पर वितरक को किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं होगी।
49. संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
50. अभिरुचि की अभिव्यक्ति में आवेदक के लिए निर्धारित की गई आवेदन की नियम व शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
51. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
52. संघ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना की जाने पर आपकी सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा।
53. इस अनुबंध का न्यायाधिकार क्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक..... को निष्पादित किया गया है।

मैं पिता/पति/पत्नी.....साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक मार्ग क्रमांक .
.....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती..... को घोषित करता/ करती हूँ।

साँची फ्रेश प्रोडक्ट्स वितरक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर

पता:-.....

नाम एवं

प्रभारी (विपणन)

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

.....

.....

2.गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता:-.....

.....

दुग्ध उत्पाद विपणन मार्गों का संक्षिप्त विवरण

मार्ग क्र.	दुग्ध उत्पाद विपणन मार्ग
10	मथाई नगर, पंचवटी कालोनी, बैरागढ़ कलां, बैरागढ़, भैंसाखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, मोचीपुरा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, हलालपुरा बस स्टेन्ड, विजय नगर, लालघाटी, गुफा मंदिर, बैरागढ़ सम्पूर्ण क्षेत्र, चिरायु अस्पताल